



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
मथुरा, बरेली एवं शाहजहांपुर।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-08 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उओप्रओ के पत्र संख्या-30/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्ली.-जि.यो./2023-24, दिनांक-21.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल ₹0-500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र०	पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख में
1	ग्राम नन्दगांव, तहसील छाता, जनपद मथुरा	235.37
2	गुरुगाँवा मुस्तकिल परगना व तहसील आंवला, जनपद बरेली	150.00
3	ग्राम साल्लियाँ, परगना व तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर	114.63
योग-		500.00

(रुपये पाँच करोड़ मात्र)

- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उओप्रओ का होगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
- प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उओप्रओ बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है अर्थात् प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
 - (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट्यों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
 - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उओप्रओ/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा।
 - (12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
 - (13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
 - (14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001011300 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जिला योजना) मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

प्रओसंओ-106/2026/933(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(29)/2018-1431264. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।
- 3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुओ-1/नियोजन अनुओ-3/श्रम अनुभाग-2 ।
- 6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।